(जिन संस्थाओं ने आरटीई के छात्रों को नि : शुल्क बुक्स वगैराह नही दी है उनके लिए)

श्रीमान प्रभारी अधिकारी जी,

आरटीई , ...

विषय – आरटीई के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्रों को पाठयपुस्तको उलब्ध कराने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषय मे वस्तुस्थिति इस प्रकार है –

1. जैसा कि आपको मालूम होवे कि राजस्थान मे 1 अगस्त 2013 से फीस एक्ट लागू हो गया है । जिसके तहत किसी भी नियम के उल्लघन पर 50,000 रू0 का जुर्माना अथवा तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है ।
2. उक्त फीस एक्ट की धारा 5 के तहत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा राजस्थान के प्रत्येक विद्यालय से पाठ्यपुस्तके/स्टेशनरी आदि नही उपलब्ध कराने का शपथ पत्र संस्था प्रबन्धन से लिया गया है । जिसके उल्लघन करने पर उक्त सजा हो सकती है ।

   अत : **इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की सामग्री न तो उपलब्ध करानी है और ना ही बाध्य करना है ।**

3. माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने निजी स्कूलो मे आरटीई प्रावधान लागू करने के निर्णय (95/2012)मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ––

   (1)निजी विद्यालय 25% सीटस आरटीई के तहत रिर्जव रखेगे एवं उन पर होने वाले खर्चे का पुन : भरण सरकार द्वारा किया जायेगा ।

   (2) इन बच्चो की शिक्षा पर होने वाले खर्च का भार अन्य बच्चो पर नही डाले ।

   अत : यह स्पष्ट हो जाता है कि निजी विद्यालय को 25% सीटस पर इन बच्चो को पढाना है तथा उस पर आने वाला समस्त खर्चा राज्य सरकार से लेना है । यदि सरकार आरटीई के तहत अध्ययनरत बच्चो पर आये खर्च को वहन नही करती है तो उसका भार अन्य बच्चो पर होगा , जो गैर कानूनी होगा ।

4. राज्य सरकार द्वारा इसी कानून की पालना मे केन्द्रीय विद्यालय संगठन (जो हमारे जैसी ही संस्था है) मे अध्ययनरत बच्चों की फीस के साथ ही स्टेशनरी, बुक्स , बैग,

गणवेश तथा वाहन पर हुए खर्चे का पुन : भरण लागत के आधार पर करती है । जो सही भी है ।

अत : **इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि सरकार द्वारा ही उपरोक्त बच्चो के अध्ययन व अन्य शिक्षण सामग्री पर होने वाले खर्च का पुन : भरण करना होता है , यदि ऐसा प्रावधान या नियम नही होते तो सरकार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालयो को लागत के अनुसार भुगतान कहॉ से करती ? एवं किस मद से करती ?**

5. राज्य सरकार निजी विद्यालयों मे अध्ययनरत आरटीई के छात्रो के पाठयपुस्तक, गणवेश, स्टेशनरी, बैग ,वाहन आदि के लि**ए केवल 107 रू0 का ही पुन :** भरण करती है । जबकि उपरोक्त सबकी लागत कई गुना होती है एवं उसके लिए किसी भी निजी विद्यालय मे कोई फण्ड नही होता है ।
6. **राज्य फीस कमेटी द्वारा भी खर्चो के आधार पर फीस तय करते वक्त ऐसे बच्चो पर होने वाले इस मद के खर्च को सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाईन के आधार पर मानने से इंकार कर दिया जिसकी वजह से संस्था को वित्तीय परेशानी का सामना करना पडा**

यह सर्व विदित है कि संस्था की आय के साधन केवल छात्रो से ली जाने वाली फीस ही होती है जो उन बच्चो पर ही खर्च की जा सकती है, जिनसे ली गई है ।

7. उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए नियमो की पालना के मध्यनजर विद्यालय प्रबन्धन ने निम्न फैसला लिया –

"आरटीई मे अध्ययनरत बच्चो के अभिभावको को स्वयं के स्तर से पाठ्यपुस्तके व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय करने को कहा जाए एवं राज्य सरकार से उपरोक्त के पेटे मिलने वाली राशि को उनको पुन : भरण कर दी जाए । जिसकी विधिवत रसीद ली जाए एवं आवश्यकता पडने पर आरटीई अधिकारियों को उपयोग हेतु दी जाए ।"

अत : आपको उपरोक्त पत्र आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु सादर प्रषित है ।

सचिव